राजस्थान सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग

परिपत्र

विषयः— भवन निर्माण कार्यों की निविदाओं के सम्पादन के कम में।

प्रायः यह देखने में आया है कि भवन निर्माण के वृहद कार्यों की निविदाओ में संवेदकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो रहा है। कुछ स्थानों पर तो बार–बार निविदाऐं आमंत्रण के पश्चात भी एकल निविदा प्राप्त हो रही है अथवा संवेदक तकनीकी मापदण्डों को पूर्ण कर पाने में असमर्थ होने के कारण प्राप्त निविदायें निरस्त करनी पडती है। इस प्रकार निविदाओं में सक्षम संवेदकों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं प्रतिस्पर्द्धात्मक दरें भी प्राप्त नहीं होने के कारण से स्वीकृत भवन निर्माण कार्य समय पर प्रारंभ नहीं हो पा रहे हैं।

इस क्रम में विभाग के समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशाषी अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके अधीन भवन निर्माण कार्यों की निविदाओं हेतु सक्षम संवेदकों को अधिकाधिक रूप से भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करें एवम् आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार "संयुक्त उपक्रम" फर्मों को भी निविदाओं में भाग लेने हेतु सम्मिलित करें। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निविदा प्रक्रिया में अधिकाधिक संवेदकों की भागीदारी सुनिश्चित करना व व्यक्तिगत प्रयासों से प्रतिस्पर्द्धात्मक दरें प्राप्त करना प्रत्येक स्तर पर संबंधित अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

(जे. सी. महान्ति)
प्रमुख शासन सचिव,
सा.नि.वि., राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः मु.अ./अ.अ.(भवन)/डी– 546 दिनांकः 17.07.2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य अभियंता, सा.नि.वि. (एन.एच.)/एस.एस./पीएमजीएसवाई/सडक राजस्थान जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. अति0 मुख्य अभियंता, सा.नि.वि. सम्भाग–..............................(समस्त)।
7. अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि. वृत्त–..............................(समस्त)।
8. अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड–..............................(समस्त)।

(जे. सी. महान्ति)
प्रमुख शासन सचिव,
सा.नि.वि., राजस्थान जयपुर।